FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर दीगोद, मुकाम दीगोद जिला कोटा

राजू उर्फ राजेन्द्र बनाम सरकार

किस्म मुकदमा इजराय मुकदमा नम्बर सन् 53 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2025	इजराय प्रार्थना पत्र, प्रार्थी राजू उर्फ राजेन्द्र की ओर जरिये अधिवक्ता धनराज मण्डावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर पारित निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दीगोद को पत्र जारी हो। मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 30.06.2025 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश हो।	
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा
राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0

7 / 2021	तारीख दायरा 22.10.2021	तारीख फैसला 13.07.2024

उनवान

1– राजू उर्फ राजेन्द पुत्र आनन्दीलाल जाति भील निवासी ग्राम ख्यावदा हाल निवास बजरंग नगर कोटा राज0

2– मनीष उर्फ दिनेश पुत्र आनन्दीलाल जाति भील निवासी ख्यावदा हाल निवास बजरंग नगर कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से – श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 232 / 566 , खसरा नम्बर 233, खसरा नम्बर 438 , खसरा नम्बर 44 / 565, खसरा नम्बर 444, खसरा नम्बर 45, खसरा नम्बर 454, खसरा नम्बर 91, खसरा नम्बर 92 कुल 9 किता की रकबा 6.91 हेक्टर भूमि शामलताती खातेदारी / काश्तकारी दर्ज चली आ रही है। जमाबन्दी संलग्न है। जिसमें वादीगण नं0 का नाम राजू, तथा वादी नं0 2 का नाम मनीष जाति भील दर्ज चला आ रहा है।

2– यह कि वादनी के पिता कि विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम वादी नं0 1 का राजू व वादी नं0 2 का मनीष के नाम दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण का सही नाम दस्तावेजों में राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल व दिनेश पुत्र आनन्दीलाल जाति भील दर्ज है। जिससे वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि वादीगण के आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड एवं ग्राम मदनपुरा के राजस्व रिकार्ड में क्रमशः वादी नं0 1 का नाम राजेन्द्र , वादी नं0 2 का नाम दिनेश दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल व वादी नं0 2 का नाम मनीष के स्थान पर दिनेश पुत्र आनन्दीलाल दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि नाम की दुरूस्ती नही की गयी तो वादीगण को भविश्य में काफी कठिनाईयां का सामना करना पडेगा।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि इस सम्बन्ध मे वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 3.12.2021 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने को कहा जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5-- यह कि वाद कारण दिनांक 18.06.2021 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दुरूस्त नहीं करने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:-

1- कि ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते के खाता संख्या 22 के खसरा नम्बर 232/566 , खसरा नम्बर 233, खसरा नम्बर 438 , खसरा नम्बर 44/565, खसरा नम्बर 444, खसरा नम्बर 45, खसरा नम्बर 454, खसरा नम्बर 91, खसरा नम्बर 92 कुल 9 किता की रकबा 6.91 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल , वादी नं0 2 का नाम मनीष के स्थान पर दिनेश पुत्र आनन्दीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2- कि अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:-

1- नकल जमाबन्दी ग्राम खैरूला सम्वत 2075-2078 खाता सं0 22
2- नकल फोटो प्रति आधार कार्ड
3- नकल फोटो प्रति पेन कार्ड
4- नकल फोटो प्रति बैंक डायरी
5- नकल फोटो प्रति राशन कार्ड
6- ड्राईविंग लाईसेन्स की छाया प्रति

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार में भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 का नाम राजू पुत्र आनन्दीलाल, वादी नं0 2 का नाम मनीष पुत्र आनन्दीलाल दर्ज है। तथा संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड व पेन कार्ड एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों में खातेदार वादी नं0 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल व वादी नं0 2 का नाम दिनेश पुत्र आनन्दीलाल दर्ज है। अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर वादी नं0 1 का नाम राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल व वादी नं0 2 का नाम दिनेश पुत्र आनन्दीलाल दर्ज किया जाना उचित माना है। प्रतिवादी का जवाब सहमति परक होने ने प्रकरण में तनकीयात की आवश्यक नही होने एवं साक्ष्य में स्वयं वादी राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल का शपथ पत्र संलग्न मिसल है। पत्रावली को बहस पर नियत की गयी। पत्रावली को आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प में सुनवाई हेतु रखवायी गयी।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार दीगोद ने वादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड , बहस वादी अधिवक्ता एवं संलग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत जवाव का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है। वादी नं0 1 का नाम राजू पुत्र आनन्दीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल व वादी नं0 2 का नाम मनीष पुत्र आनन्दीलाल के स्थान पर दिनेश पुत्र आनन्दीलाल किया दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के शामलाती खाते के खाता संख्या 22 के खसरा नमबर 232/566 , खसरा नम्बर 233, खसरा नम्बर 438 , खसरा नम्बर 44/565, खसरा नम्बर 444, खसरा नम्बर 45, खसरा नम्बर 454, खसरा नम्बर 91, खसरा नम्बर 92 कुल 9 किता की रकबा 6.91 हेक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी नं0 1 का नाम राजू पुत्र आनन्दीलाल के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र आनन्दीलाल , वादी नं0 2 का नाम मनीष पुत्र आनंदीलाल के स्थान पर दिनेश पुत्र आनन्दीलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम सुनाया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)